राजस्थान सरकार
निदेशालय महिला अधिकारिता
जे–7, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर
Email-we.wshgi@gmail.com दूरभाष 0141–2716419

क्रमांक एफ 19 ( )/WE/WSHGI/BA-120/PIGMPKS/RS-CFA/2019-20/ 29406 दिनांक 09-12-2020.

इन्दिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण व कौशल संवर्धन योजना

"महिलाओं/बालिकाओं को निःशुल्क RS-CFA (Rajasthan State-Certificate in Financial Accounting using Tally, ERP 9 GST enabled) प्रशिक्षण"

परिपत्र

प्रस्तावना –

माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार ने महिलाओं के सर्वांगीण सशक्तिकरण के उद्देश्य से बजट घोषणा संख्या 120 वर्ष 2019–20 में राशि रू. 1000 करोड़ की **इंदिरा महिला शक्ति निधि** के गठन की घोषणा की है। उक्त निधि का उपयोग महिलाओं को उद्यम स्थापना हेतु सहयोग, आधुनिक अनुसंधान हेतु सहायता, कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण, जागरूकता हेतु शिक्षा तथा पीड़ित महिलाओं के पुर्नवास संबंधित गतिविधियों के लिए किया जाएगा। उक्त निधि से महिलाओं को इन्दिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण व कौशल संवर्धन योजनान्तर्गत **राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड** के माध्यम से RS-CFA का निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा ताकि महिलाएं कम्प्यूटर पर Tally Software पर कार्य करने के कौशल में पारंगत हो सकें एवं उन्हें व्यापार एवं वाणिज्य के क्षेत्र में रोजगार/स्वरोजगार मिल सके।

उद्देश्य –

वर्तमान युग सूचना प्रौद्योगिकी का युग है। वर्तमान में सभी क्षेत्रों में कम्प्यूटर का उपयोग निरन्तर बढ़ रहा है। वर्तमान में उद्योग, व्यापार एवं वाणिज्य के क्षेत्र में बिलींग से लेकर अकाउन्टिंग तक का कार्य कम्प्यूटर के माध्यम से हो रहा है तथा वस्तु एवं सेवा कर लागू होने के पश्चात् इसमें उतरोत्तर वृद्धि हुई है। महिलाओं के सर्वांगीण विकास हेतु आवश्यक है कि वह आर्थिक रूप से स्वावलम्बी हों ताकि निर्णय प्रक्रिया में अपना योगदान दे सकें। चूंकि जी.एस.टी. लागू होने के पश्चात् व्यापार एवं उद्योग के क्षेत्र में कम्प्यूटरीकृत वित्तीय लेखांकन के जानकारों की मांग बढ़ी है। अतः इन्दिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण व

Scanned by CamScanner

कौशल संवर्धन योजनान्तर्गत राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के माध्यम से RS-CFA (Rajasthan State-Certificate in Financial Accounting using Tally, ERP 9 GST enabled) का निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

पाठ्यक्रम एवं पात्रता–

योजना के अंतर्गत RKCL के माध्यम से RS-CFA (Rajasthan State-Certificate in Financial Accounting using Tally, ERP 9 GST enabled) का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। कोर्स का संक्षिप्त विवरण, शैक्षणिक योग्यता, प्रशिक्षण अवधि, आयु व अन्य जानकारी निम्नानुसार है–

- **कोर्स का संक्षिप्त विवरण :**
  - कम्प्यूटर पर अकाउन्टिंग का ज्ञान (Using Tally Software)
  - सैद्धान्तिक एवं कम्प्यूटर आधारित प्रशिक्षण (CBT)
  - Tally ERP 9 वर्जन आधारित कोर्स
- **प्रशिक्षण अवधि :**
  - 100 घंटे (2 घण्टे प्रतिदिन, सप्ताह में 5 दिन)
- **आयु :**
  - 16–40 वर्ष (प्रशिक्षणार्थी जिस वर्ष प्रशिक्षण लेने का इच्छुक है उस वर्ष की 1 जनवरी को वह उपरोक्तानुसार आयु सीमा में होना आवश्यक है)।
- **शैक्षणिक योग्यता :**
  - कक्षा 12वीं उत्तीर्ण।

आवेदन प्रकिया–

प्रशिक्षण की इच्छुक महिला/बालिकाओं द्वारा RS-CFA कोर्स के लिए निर्धारित प्रपत्र में आवेदन किया जावेगा। आवेदन पत्र विभागीय वेबसाईट www.wcd.rajasthan.gov.in व RKCL की वेबसाइट www.rkcl.in से डाउनलोड किया जा सकता है।

आवेदन पत्र मय आवश्यक शैक्षगिक योग्यता, आयु एवं अपनी श्रेणी संबंधित प्रमाण पत्रों के पूर्ण रूप से भरकर निर्धारित तिथि तक ई–मित्र के माध्यम से या स्वयं द्वारा ऑनलाइन भरे जा सकते हैं। योजना की जानकारी विभागीय वेबसाईट www.wcd.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है।

Scanned by CamScanner

चयन प्रक्रिया–

निर्धारित तिथि तक प्राप्त आवेदन पत्रों के आधार पर विभागीय निर्देशानुसार RKCL द्वारा वरीयता सूची तैयार कर उपनिदेशक/सहायक निदेशक, म.अ के लॉगिन पर उपलब्ध करवाई जायगी। उपनिदेशक/सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता लॉगिन में उपलब्ध वरीयता सूची की जांच कर निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार प्रशिक्षणार्थी का ऑन लाईन चयन करेंगे उक्त हेतु RKCL के प्रतिनिधि का सहयोग लिया जा सकता है। निर्धारित लक्ष्यों से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने की स्थिति में प्रशिक्षणार्थियों का चयन निम्नलिखित वरीयता के आधार पर किया जाएगाः–

1. विधवा/तलाकशुदा/परित्यक्ता
2. हिंसा से पीडित महिला।
3. ऐसे प्रशिक्षणार्थी जिन्होने कक्षा 12वीं राजकीय विद्यालय से उत्तीर्ण की है एवं स्नातक है।
4. ऐसे प्रशिक्षणार्थी जिन्होने कक्षा 12वीं राजकीय विद्यालय से उत्तीर्ण की है एवं आयु 25 वर्ष या अधिक है।
5. ऐसे प्रशिक्षणार्थी जो कि स्नातक है।

उक्त श्रेणियों के अभ्यर्थियों के चयन के पश्चात् शेष रही सीटों हेतु कक्षा 12वीं के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जाएगी। समान प्राप्तांक की स्थिति में अधिक उम्र वाले वाले प्रशिक्षणार्थीयों को वरीयता दी जाएगी।

आवंटित सीटों में से 18% सीटों पर अनुसूचित जाति एवं 14% सीटों पर अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। सम्बन्धित वर्ग में अनुपलब्धता की स्थिति में अन्य से भरा जाएगा।

प्रशिक्षण हेतु निर्धारित लक्ष्यों से अधिक आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में उच्चतम शैक्षणिक योग्यता के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जाएगी। समान शैक्षिणिक योग्यता की स्थिति में अधिक प्राप्तांक वाले अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी।

आवश्यक दस्तावेज –

निम्नलिखित दस्तावेजों/प्रमाण पत्रों में से जो भी लागू हो अवश्य लगाएं–

1) आयु सत्यापन हेतु 10वीं कक्षा का उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र/अंक तालिका।
2) 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की अंक तालिका तथा कक्षा 12 वीं राजकीय विद्यालय से उत्तीर्ण की है, इसके साक्ष्य में कक्षा 12 वीं का प्रमाण–पत्र।
3) स्नातक उत्तीर्ण होने की स्थिति में स्नातक की अंक तालिका।

Scanned by CamScanner

4) विधवा के प्रकरण में पति का मृत्यु प्रमाण पत्र/तलाकशुदा के प्रकरण में तलाकनामा/ परित्यक्ता की स्थिति में परित्यक्ता होने का शपथ पत्र।

5) हिंसा से पीडित महिला के प्रकरण में एफ.आई.आर. की प्रति /घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत घरेलू घटना रिपोर्ट/महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र / अपराजिता पर प्रकरण दर्ज करने के दस्तावेज की प्रति ।

6) अनुसूचित जाति एवं जनजाति के प्रकरण में जाति प्रमाण–पत्र।

नोट :– क्रम संख्या 1) एवं 2) पर वर्णित प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से सभी श्रेणियों के आवेदकों को लगाना आवश्यक है।

प्रशिक्षणार्थियों के आई.टी.ज्ञान केन्द्र वार चयन के उपरांत आर.के.सी.एल. द्वारा चयनित प्रशिक्षणार्थियों के मोबाईल/ई–मेल आई.डी पर रफरेन्स नम्बर एवं आई.टी. ज्ञान केन्द्र (जिस हेतु प्रशिक्षणार्थी का चयन हुआ है) की सूचना दी जायेगी जिसके आधार पर प्रशिक्षणार्थी संबंधित आई.टी. ज्ञान केन्द्र पर प्रशिक्षण हेतु रिर्पोटिंग करेगें एवं बायोमेट्रिक पंजिकरण करवाएगें।

<u>प्रशिक्षण–</u>

योजनान्तर्गत प्रशिक्षण राजस्थान नॉलेज कारपोरेशन लि. द्वारा उनके चिन्हित आई. टी. ज्ञान केन्द्रों पर प्रदान किया जाएगा। प्रशिक्षणार्थियों की उपस्थिति बायो मैट्रिक मशीन से की जाएगी। प्रशिक्षणार्थियों को नियमित रूप से आई.टी. ज्ञान केन्द्र पर प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। 65% से कम बायोमैट्रिक उपस्थिति दर्ज करवाने वाले प्रशिक्षणार्थी परीक्षा में बैठने हेतु पात्र नहीं होंगे एवं उन्हें प्रमाण पत्र भी नहीं दिया जाएगा। प्रशिक्षण की निर्धारित अवधि पूर्ण होने के पश्चात् प्रशिक्षणार्थियों को Tally Solutions Pvt. Ltd द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा में भाग लेना होगा। परीक्षा उत्तीर्ण करने पर प्रशिक्षणार्थियों को Rajasthan Knowledge Corporation Limited एवं Tally Solutions Pvt. Ltd द्वारा संयुक्त रूप से प्रमाण पत्र दिया जाएगा।

<u>भुगतान–</u>

योजनान्तर्गत महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा RKCL को दो किश्तों में भुगतान किया जाएगा। प्रथम किश्त का भुगतान उन्हीं प्रशिक्षणार्थियों हेतु किया जाएगा जिनका लर्नर कोड जारी किया गया है एवं बायोमैट्रिक रजिस्ट्रेशन है। प्रथम किश्त अन्तर्गत RS-CFA प्रशिक्षण हेतु निर्धारित शुल्क रू 7200 प्रति संभागी का 50 % राशि रू.

Scanned by CamScanner

3600 का भुगतान किया जाएगा। द्वितीय किश्त के रूप में शेष 50 % राशि रू. 3600 का भुगतान प्रशिक्षणार्थियों के उत्तीर्ण होने, आई.टी.ज्ञान केन्द्रों द्वारा जनप्रतिनिधि से प्रशिक्षण के उद्घाटन/निरीक्षण/समापन करवाने एवं 65 % से अधिक बायोमैट्रिक उपस्थिति होने पर किया जाएगा। योजनान्तर्गत दोनों किस्तों का भुगतान जिला स्तर पर उपनिदेशक/सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता द्वारा किया जाएगा।

निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण –

प्रशिक्षण का निरीक्षण विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी उपनिदेशक/सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता तथा ब्लॉक स्तरीय अधिकारी महिला पर्यवेक्षक, महिला अधिकारिता द्वारा किया जाएगा एवं निर्धारित प्रारूप में निरीक्षण रिपोर्ट तैयार की जाएगी। राज्य स्तर पर योजना का पर्यतेक्षण आयुक्त/निदेशक, महिला अधिकारिता द्वारा किया जाएगा।

संलग्नः–आवेदन पत्र ।

(रश्मि गुप्ता)
आयुक्त
महिला अधिकारिता
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ 19 ( )/WE/WSHGI/BA-120/PIGMPKS/RS-CFA/2019-20/ 29407-29549 दिनांक 09/12/2020

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु : –

1. प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीया मंत्री महोदया, मबावि, राज., जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, जयपुर।
6. जिला कलक्टर, समस्त।
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त ।
8. वरिष्ठ निजी सहायक, आयुक्त, महिला अधिकारिता विभाग, जयपुर।
9. वरिष्ठ निजी सहायक, निदेशक समेकित बाल विकास सेवाएँ, जयपुर।
10. प्रबंध निदेशक, राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लि.(RKCL) झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर
11. वित्तीय सलाहकार, महिला अधिकारिता, राजस्थान, जयपुर।
12. उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, समस्त जिले।
13. उपनिदेशक/ सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता, समस्त जिले।
14. प्रोग्रामर मुख्यालय को विभागीय बेवसाइट पर अपलोड करने हेतु ।

अतिरिक्त निदेशक (SHG)

Scanned by CamScanner

टिप्पणी (कर्मिक)

निःशुल्क आवेदन प्रपत्र

महिला एंव बाल विकास विभाग, राजस्थान सरकार
इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण व कौशल संवर्धन योजना
महिलाओं को निःशुल्क RS-CFA प्रशिक्षण

Rajasthan Knowledge Corporation Limited

प्रशिक्षण हेतु वरीयता क्रम में आई.टी. ज्ञान केन्द्रों का विवरण :

विकल्प	आई.टी. ज्ञान केन्द्र का कोड नं.	आई.टी. ज्ञान केन्द्र का नाम
1.	....	....
2.	....	....

प्रशिक्षणार्थी का नामः प्रथम नाम.............................. मध्यम नाम.............................. अन्तिम नाम....................

पिता का नामः...माता का नामः..

जन्म तिथि :(दिन/महिना/वर्ष) :...

Photo

वैवाहिक स्थितिः :☐अविवाहित ☐विवाहित

☐तलाकशुदा ☐ विधवा ☐ परित्यकता

मोबाइल नंबरः... ई–मेल आई.डी.:...

आधार कार्ड नम्बर... भामाशाह कार्ड न...

स्थायी पता : मकान न./गली/मौहल्लाः.. शहर/कस्बा/गॉवः..

ग्राम पंचायत/नगर पालिका/नगर निगम...

तहसील :...जिलाः.. पिन कोडः.......................................

आवेदक की श्रेणी : (सम्बन्धित श्रेणी पर टिक करें एवं विवरण डाले)

☐सामान्य

☐अनुसूचित जाति

☐अनुसूचित जनजातिः जनजाति उपयोजना (टीएसपी) : तहसीलः.................................... जिलाः......................
गैर–जनजाति उपयोजना (नॉन–टीएसपी)(माडा अथवा बिखरी)

☐सहरिया

☐अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रिमी लेयर)

☐विशेष पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रिमी लेयर)

जाति :.. धर्म :☐ हिन्दू ☐मुस्लिम ☐ सिक्ख ☐ इसाई ☐ जैन ☐पारसी ☐अन्य

महिला श्रेणी : ☐ विधवा ☐ परित्यक्ता/तलाकशुदा ☐ हिंसा से पीडित महिला

शैक्षणिक योग्यता :

योग्यता	बोर्ड/यूनिवर्सिटी	प्रतिशत	पास करने का महिना एवं वर्ष
दसवीं (आरएस–सीआईटी हेतु अनिवार्य)			
स्नातक उत्तीर्ण की अंकतालिका			

- शैक्षणिक योग्यता, आयु संबंधी एवं अन्य अनिवार्य प्रमाण पत्र–

1. आयु सत्यापन हेतु 10वीं कक्षा का उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र/अंक तालिका।
2. 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की अंक तालिका तथा कक्षा 12 वीं राजकीय विद्यालय से उत्तीर्ण की है, इसके साक्ष्य में कक्षा 12 वीं का प्रमाण–पत्र।
3. स्नातक उत्तीर्ण होने की स्थिति में स्नातक की अंक तालिका।
4. विधवा के प्रकरण में पति का मृत्यु प्रमाण पत्र/तलाकशुदा के प्रकरण में तलाकनामा/परित्यक्ता की स्थिति में परित्यक्ता होने का शपथ पत्र।
5. हिंसा से पीडित महिला के प्रकरण में एफआई आर की प्रति/घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत घरेलू घटना रिपोर्ट/महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र/अपराजिता पर प्रकरण दर्ज करने के दस्तावेज की प्रति ।
6. अनुसूचित जाति एवं जनजाति के प्रकरण में जाति प्रमाण–पत्र।

घोषणा :–

1.मैं उद्घोषणा करती हूँ कि इस आवेदन पत्र में मेरे द्वारा दी गई सभी सूचनाऐं मेरे ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सत्य, पूर्ण एवं सही है
2.मैंने RS-CIT/RS-CFA पाठ्यक्रम में से एक पाठ्यक्रम के लिए ही आवेदन किया है।
3. मैं पूर्व में राजस्थान सरकार द्वारा चलाये जा रही योजनाओं के अन्तर्गत इस प्रकार के कम्प्यूटर कोर्स या योजना के अन्तर्गत लाभान्वित नहीं हुई हूँ।

स्थान :.................................

दिनांकः.................................

हस्ताक्षर

Scanned by CamScanner

राजस्थान सरकार
निदेशालय महिला अधिकारिता
जे–7, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर

क्रमांक एफ 19 (1)/WE/SHG/BA-120/RS-CIT/2019-20 **दिनांक**

उपनिदेशक/सहायक निदेशक
महिला अधिकारिता
जिला समस्त।

विषय :– इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना अंतर्गत वर्ष 2023–24 में महिलाओं/बालिकाओं को RKCL के माध्यम से RS-CIT, RS-CFA एवं RS-CSEP कोर्स का प्रशिक्षण करवाये जाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वर्ष 2023–24 में इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना अंतर्गत महिलाओं/बालिकाओं को RKCL के माध्यम से निःशुल्क RS-CIT, RS-CFA एवं RS-CSEP कोर्स के प्रशिक्षण करवाये जाने है। इस बाबत ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित करने की प्रक्रिया दिनांक 08.09.2023 को समाप्त हो चुकी है। अब निःशुल्क RS-CIT, RS-CFA एवं RS-CSEP कोर्स के प्रशिक्षण हेतु प्राप्त आवेदनों में से निर्धारित मापदंड अनुसार आवेदकों का चयन कर प्रशिक्षण करवाया जाना है। इस हेतु RKCL के द्वारा उपनिदेशक/सहायक निदेशक, मअ. के लॉगिन में आवेदकों का डाटा दिनांक 18.09.2023 तक उपलब्ध करा दिया जायेगा। आवेदनों का चयन उपनिदेशक, मबावि, उपनिदेशक/सहायक निदेशक, मअ. एवं प्रभारी RKCL प्रतिनिधि की चयन समिति द्वारा निम्नानुसार चरणबद्ध तरिके से किया जाना है –

1. लॉगिन खोलने हेतु RKCL के द्वारा लॉगिन एवं पासवर्ड समस्त जिलों के उपनिदेशक/सहा. निदेशक, मअ. को पूर्व में उपलब्ध करवाये जा चुके है।
2. उपनिदेशक/सहा. निदेशक, मअ. के लॉगिन पर समस्त आवेदन पत्रों की सूचना निर्धारित प्रोफार्मा में कम्प्यूटर द्वारा बनायी गयी मेरिट लिस्ट के क्रम में आई.टी. ज्ञान केन्द्रवार दिखाई देगी।
3. लॉगिन पर दिखाई देने वाली सूची में से, चयन समिति/उपनिदेशक/सहायक निदेशक, मअ. को महिलाओं/बालिकाओं का चयन RS-CIT, RS-CFA एवं RS-CSEP प्रशिक्षण हेतु करना है, यदि किसी के चयन पर कोई आपत्ति है तो साईट पर कारण दर्ज करते हुए उसे निरस्त कर उसके आगे का नाम का चयन कर सकते हैं। इस कार्य में सहयोग हेतु RKCL का प्रतिनिधि मौजूद रहेगा।

Signature Not Verified

Digitally signed by Miss Renu Jaipal
Designation : Commissioner
Date: 2023.09.14 16:52:19 IST
Reason: Approved

4. RS-CIT पाठ्यक्रम हेतु विभाग द्वारा निर्धारित वरियता श्रेणी– 1. विधवा/तलाकशुदा/परित्यक्ता, 2. हिंसा से पिडित महिला 3. कक्षा 10 वीं उत्तीर्ण साथिन 4. स्नातक उत्तीर्ण आंगनबाडी कार्यकर्ता, 5. प्रशिक्षणार्थी जिन्होंने कक्षा 10 वीं राजकीय विद्यालय से उत्तीर्ण की है एवं स्नातक है 6. प्रशिक्षणार्थी जिन्होंने कक्षा 10 वीं राजकीय विद्यालय से उत्तीर्ण की है एवं आयु 25 वर्ष या अधिक है 7. प्रशिक्षणार्थी जो कि स्नातक है कि प्रति ज्ञानकेन्द्र अधिकतम 30 सीटों पर चयन करना है। इसके पश्चात प्रति ज्ञानकेन्द्र 7 सीटों पर ओर चयन करना है जिनमें से 1 एसटी एवं 1 एससी श्रेणी की होगी। उक्त श्रेणी के अभ्यार्थी नहीं मिलने की स्थिति में इनके स्थान पर सामान्य श्रेणी के प्रशिक्षणार्थियों का चयन किया जायेगा।
5. RS-CFA पाठ्यक्रम हेतु विभाग द्वारा निर्धारित वरियता श्रेणी– 1. विधवा/तलाकशुदा/परित्यक्ता, 2. हिंसा से पिडित महिला 3. प्रशिक्षणार्थी जिन्होंने कक्षा 12 वीं राजकीय विद्यालय से उत्तीर्ण की है एवं स्नातक है 4. प्रशिक्षणार्थी जिन्होंने कक्षा 12 वीं राजकीय विद्यालय से उत्तीर्ण की है एवं आयु 25 वर्ष या अधिक है 5. प्रशिक्षणार्थी जो कि स्नातक है के आधार पर प्रति आईटी ज्ञानकेन्द्र 7 सीटों पर चयन किया जाना है जिनमें से 1 एसटी एवं 1 एससी श्रेणी की होगी। उक्त श्रेणी के अभ्यार्थी नहीं मिलने की स्थिति में इनके स्थान पर सामान्य श्रेणी के प्रशिक्षणार्थियों का चयन किया जायेगा।
6. RS-CSEP पाठ्यक्रम हेतु विभाग द्वारा निर्धारित वरियता श्रेणी– 1. विधवा/तलाकशुदा/परित्यक्ता, 2. हिंसा से पिडित महिला 3. प्रशिक्षणार्थी जिन्होंने कक्षा 12 वीं राजकीय विद्यालय से उत्तीर्ण की है एवं स्नातक है 4. प्रशिक्षणार्थी जिन्होंने कक्षा 12 वीं राजकीय विद्यालय से उत्तीर्ण की है एवं आयु 25 वर्ष या अधिक है 5. प्रशिक्षणार्थी जो कि स्नातक है के आधार पर जिला स्तर के आईटी ज्ञान केन्द्र हेतु 55 सीट प्रति ज्ञान केन्द्र (सामान्य श्रेणी की 37, अनुसुचति जाति 10 तथा अनुसुचित जनजाति 8) तथा तहसिल स्तर के आईटी ज्ञान केन्द्र हेतु 25 सीट प्रति ज्ञान केन्द्र (सामान्य श्रेणी की 17, अनुसुचति जाति 05 तथा अनुसुचित जनजाति 03) पर चयन किया जाना है। आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी नहीं मिलने की स्थिति में इनके स्थान पर सामान्य श्रेणी के प्रशिक्षणार्थियों का चयन किया जायेगा।
7. जिला स्तर पर चयन समिति द्वारा आईटी ज्ञानकेन्द्र वार ऑनलाईन चयन दिनांक 18.09.2023 से 09.10.2023 तक किया जायेगा।
8. RKCL के द्वारा प्रशिक्षाणार्थियों को प्रशिक्षण में उपस्थित होने बाबत एस.एम.एस. द्वारा सूचना दिनांक 10.10.2023 से 11.10.2023 तक दी जायेगी।
9. प्रशिक्षार्थियों द्वारा प्रशिक्षण हेतु आईटी ज्ञान केन्द्रों पर रिपोर्टिंग दिनांक 12.10.2023 से 16.10.2023 तक दी जायेगी।
10. निःशुल्क RS-CIT, RS-CFA एवं RS-CSEP कोर्स के प्रशिक्षण हेतु ऑनलाईन प्रशिक्षण दिनांक 17.10.2023 से आरम्भ किया जायेगा।

Signature Not Verified

Digitally signed by Miss Renu Jaipal
Designation : Commissioner
Date: 2023.09.14 16:52:19 IST
Reason: Approved

11.प्रशिक्षण के दौरान निम्नलिखित निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें–

अ– प्रशिक्षण का निरीक्षण कर निर्धारित प्रारूप में निरीक्षण रिपोर्ट निदेशालय को प्रस्तुत की जाये

ब– प्रशिक्षणार्थियों से प्रशिक्षण के संबंध में ऑनलाईन फीडबैक फॉर्म भरवाया जाए।

स– विभाग द्वारा समय– समय पर जारी निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावें।

(रेणु जयपाल)
आयुक्त
महिला अधिकारिता
राज., जयपुर

क्रमांक एफ 19 (1)/WE/SHG/BA-120/RS-CIT/2019-20 **दिनांक**

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सहायक, आयुक्त, महिला अधिकारिता, जयपुर।
3. प्रबंध निदेशक, RKCL, 7-A, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि बिन्दु संख्या 4, 5 व 6 में दिये गये दिशा– निर्देशानुसार प्रशिक्षणार्थियों की वरीयता सूची तैयार कर दिनांक 18.09.2023 तक उपनिदेशक/सहायक निदेशक, मअ. के लॉगिन में उपलब्ध करावें। प्रशिक्षण समय से प्रारम्भ करवाने, उपनिदेशक/सहायक निदेशक, मअ. को रिर्पोटिंग करने वाले प्रशिक्षणार्थियों की सूची समय पर उपलब्ध करवाने, प्रशिक्षणार्थियों से ऑनलाईन फीडबैंक फॉर्म भरवाए जाने हेतु संबंधित को निर्देश प्रदान करायें।
4. वित्तीय सलाहकार, महिला अधिकारिता, मुख्यालय।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त।
6. उपनिदेशक/सहायक निदेशक, मबावि., समस्त जिला।
7. प्रोग्रामर, मअ. को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु प्रेषित।
8. रक्षित पत्रावली।

आयुक्त
महिला अधिकारिता

Signature Not Verified

Digitally signed by Miss Renu Jaipal
Designation : Commissioner
Date: 2023.09.14 15:52:19 IST
Reason: Approved